न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 45/2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/ 00045)

1. रूखमा देवी उर्फ गुड्डी देवी पुत्री सरवन सिंह उर्फ सरवन पत्नी धर्माराम जाति भाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया हाल निवासी ढोल नगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. कमला देवी पुत्री सरवन सिह उर्फ सरवन पत्नी भानीराम जाति भाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

अपीलान्ट्स

बनाम

1 रूलदुराम पुत्र सरवन सिह उर्फ सरवन जाति भाट निवासी ढाणी चक 4 आई.डी.जी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. सीमा देवी पुत्री सुन्दरलाल पुत्र सरवन सिंह उर्फ सरवन जाति भाट निवासी चक 4 आई.डी.जी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. बृजलाल पुत्र सरवन सिह उर्फ सरवन जाति भाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. मुर्तिदेवी पत्नी त्रिलोकाराम पुत्र सरवन सिह उर्फ सरवन
5. सुगना देवी पुत्री त्रिलोकाराम पुत्र सरवन सिह उर्फ सरवन जाति भाट निवासी चक 4 आई.डी.जी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. महिन्द्रो उर्फ शारदा पुत्री त्रिलोकाराम पुत्र सरवन सिह उर्फ सरवन जाति भाट निवासी चक 4 आई.डी.जी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
7. बानो देवी पुत्री त्रिलोकाराम पुत्र सरवन सिह उर्फ सरवन जाति भाट निवासी चक 4 आई.डी.जी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
8. मोठ देवी पुत्री त्रिलोकाराम पुत्र सरवन सिह उर्फ सरवन जाति भाट निवासी चक 4 आई.डी.जी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
9. बसकरी देवी पुत्री त्रिलोकाराम पुत्र सरवन सिह उर्फ सरवन जाति भाट निवासी चक 4 आई.डी.जी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
10. मंगतराम पुत्र त्रिलोकाराम पुत्र सरवन सिह उर्फ सरवन जाति भाट निवासी चक 4 आई.डी.जी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
11. प्रविन्द्र कुमार जाति भाट निवासी चक 4 आई.डी.जी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्ट्स

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थितः 1. श्री सत्यपाल सहू – अभिभाषक अपीलांट्स
2.श्री संदीप स्वामी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 11
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली –राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 30.09.2021

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के निर्णय दिनांक 03–08–2018 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि बिरजलाल पुत्र सरवनराम भाट ने तहसीलदार संगरिया को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के पिता स्व. सरवनराम ने दिनांक 04.03.1991 को अपनी कृषि भूमि वाके चक नं. 4 आई.डी. जी. में 41 बीधा व 2 आई.डी.जी. में 4 बीधा कुल 45 बीधा वसीयत बहक सुदरराम, बिरजालाल, त्रिलोकाराम के पक्ष में करवाई है, मुताबिक वसीयत राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण करवाने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ने अपने निर्णय दिनांक 03–08–2018 द्वारा प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने का किया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए कहा कि कृषि भूमि वाके रोही चक 4 आई.डी.जी. के खाता सं. 98/87 तादादी 10.123 हैक्टर खाता सं. 56/54 तादादी 0.253 हैक्टर एवंचक 2 आई.डी.जी. के खाता सं. 71/73 तादादी 0.506 हैक्टर कुल 10.882 हैक्टर सरवन पुत्र बख्ताराम के नाम दर्ज भूमि रही है। अपीलान्ट सरवन की पुत्रिया है। अदालत मातहत में अपीलान्ट द्वारा उपस्थित होकर एतराज प्रस्तुत करने के पश्चात मूल वसीयत तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो जाने के बावजूद बिना प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये गवाहान के बयान हेतु पत्रावली रखी गई। जिस पर बिना गवाहान के बयान लिए, बिना सुनवाई का अवसर दिये, एक तरफा मन माना आदेश पारित किया गया। अतःअपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में RRT 2016 पृष्ठ 1442, RRD 1995 पृष्ठ 27, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्ट्र्ड वसीयत के आधार पर आदेश पारित किया गया है जो सही है। किसी भी न्यायालय ने वसीयत को निरस्त नही किया है। वसीयत आज भी कायम है। अतः अपीलान्ट की अपील निरस्त की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट, रेस्पोडेट के विद्वान अभिभाषक एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। तहसीलदार संगरिया के समक्ष बिरजलाल ने प्रार्थना पत्र वसीसतनामा पंजीकृत दिनांक 04.03.1991 की चित्र प्रति अप्रमाणित प्रस्तुत की जिसके मुताबिक सरवनराम ने चक नं. 4 आई.डी.जी. में 41 बीधा व 2 आई.डी.जी. में 4 बीधा कुल 45 बीधा की भूमि की वसीसत अपने तीनो सगे लड़के सुन्दरराम,बिरजलाल, त्रिलोकाराम के नाम ब.हिस्सा वसीसत की है। सरवनराम की मृत्यु प्रमाण पत्र की अप्रमाणित चित्र प्रति के अनुसार दिनांक 01.01.2010 को देहान्त हो गया है। वसीसत के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कही भी उल्लेख नही है कि सुन्दरलाल व तिलोकाराम जिनके हक मे वसीसत की गई की मृत्यु हो गई है तथा सरवनराम के कुल कितने वारिसान है। ग्राम पंचायत नुकेरा के सुन्दरराम के वारिसान तस्दीक दिनांक 20.04.2014 की फौटो प्रति पत्रावली में उपलब्ध है, इसीतरह त्रिलोकाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसान की तस्दीक अप्रमाणित चित्र प्रतिया उपलब्ध है किसी भी दस्तावेज की मूल पर प्रमाणित प्रति नही है तथा ना ही इन दस्तावेजो को प्रदर्श किया गया है। सजरा खानदान भी प्रस्तुत नही किया गया है, प्रार्थना पत्र वसीयत जिनके हक मे हुई है उनके वारिसान की ओर से नामान्तकरण करने का कोई प्रार्थना पत्र नही है ना ही प्रार्थी के बयान है ना ही वसीसत दस्तावेज को प्रदर्श करवाया गया है ना वसीसत के गवाहान के बयान लिये, तहसीलदार संगरिया ने अपने निर्णय दिनांक 03.08.2018 के द्वारा कमला देवी की ओर से प्रस्तुत ए.सीएम.कोर्ट संगरिया मे वाद व ए.सी. जे. एम कोर्ट मे वाद के निरस्त होने एव वसीयत पंजीकृत होने के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि प्रस्तुंत किये गये दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिया एव वारिसान सूची तथा वारिसान को सजरा खानदान के आधार पर सुनकर व वसीसत के गवाहान के बयान दर्ज कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में RRT 2016 पृष्ठ 1442, का न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के निर्णय दिनांक 03–08–2018 अपास्त कर प्रकरण पुन

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में वसीयत की जांच व गवाहान के बयान दर्ज कर सभी पक्षो को सुनकर, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।